



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273798
CG-DL-E-24062026-273798

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3244]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948

No. 3244]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाज़ार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3378(अ).— न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 5 के खंड (ii) जो न्यायाधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (7) के खंड (ग) और नियम 10 के उप-नियम (2) के साथ पठित है, में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के दिनांक 9 मार्च, 2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-50050/270/2025-सीईएसटीएटी-डीओआर-डीओआर-भाग (1) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा सुश्री मीरा स्वरूप, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित (अधिसूचना का.आ. 835(अ), दिनांक 23 फरवरी, 2022, के तहत प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, के कार्यकाल को 9 मार्च, 2026, के उपरांत 8 सितंबर, 2026 तक बढ़ाया जाता है।

[फा. सं. 3/3/2019-आरई]

डॉ. आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(FINANCIAL MARKETS DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2026

S.O. 3378(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 and clause (ii) of section 5 of the Tribunals Reforms Act, 2021 (33 of 2021) read with clause (c) of sub-rule (7) of rule 3 and sub-rule (2) of rule 10 of the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021 and in pursuance of Office Memorandum of the Department of Revenue, Ministry of Finance number A-50050/270/2025-CESTAT-DOR-DOR-Part (1) dated the 9th March, 2026, the Central Government hereby extends the tenure of Ms. Meera Swarup, as Technical Member of the Securities Appellate Tribunal, appointed vide Notification S.O. 835(E) dated 23rd February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) beyond 9th March, 2026 for a period till 8th September, 2026.

[F. No. 3/3/2019-RE]

Dr. ALOK TIWARI, Jt. Secy.